## न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा राज.

### राजस्व लोक अदालत-न्याय आपके द्वार 2018

पीठासीन अधिकारीः— राजलक्ष्मी गहलोत, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः— 2/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1—तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1—प्रधानाध्यापक रा.उ.प्रा.वि. रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

2—सरपंच ग्राम पंचायत पीथा का खेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

3—सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग रायपुर जिला भीलवाडा

4—मूली देवी पत्नि रामलाल बलाई निवासी रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

## निर्णय

दिनांक 18.05.2018

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार/केम्प पीथा का खेडा मे पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम रामा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा की सीमा में आराजी नं. 566/2 मीन में से 1983 में 3 बीघा 15 बिस्वा भूमि खेल मैदान हेतु राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामा के नाम आवंटित की गई जिसके आवंटन के पश्चात नये नम्बर 566/2ज रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा बनाये जाकर दर्ज रिकार्ड किया गया। भू—प्रबंध के पश्चात उक्त आराजी के नवीन आराजी नम्बर 1554 रकबा 0.81 है0 बनाये गये जो सही है परन्तु नवीन नक्शें में गत नक्शे के अनुरूप नक्शा नहीं बनाया जाकर गलत जगह फिट कर दिया गया जिसको गत नक्शे अनुरूप संशोधन किया जाना आवश्यक है। भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान ही इसी आराजी नम्बर 566/2 जिसका क्षैत्रफल काफी बडा होकर इसमें पूर्व में आवंटित दर्ज आबादी को बिलानाम दर्ज कर दिया गया एवं उसके नवीन नम्बर 1512 बना दिये गये जिसको भी संशोधन किया जाना अपेक्षित है। भू—प्रबंध का रिकार्ड प्राप्त होने के पश्चात प्रधानाध्यापक द्वारा खेल मैदान की सीमा जानकारी कराये जाने पर उक्त गलती प्रकाश में आई एवं उसी दैरान अन्तर्गत धारा 136 के प्रकरण तैयार कर प्रस्तुत किये जाने पर संशोधन की स्वीकृति प्राप्त हुई परंतु गत नक्शे में सडक सीमा का निर्धारण वर्तमान नक्शे एवं मौके की स्थिति के अनुरूप नहीं होने से बिलानाम आराजी नम्बर 1512 जो की गत आराजी नम्बर 566 का ही भाग है में तरमीम कर दी गई परन्तु भूप्रबंध विभाग द्वारा पूर्व में दर्ज आबादी को विलानाम दर्ज करने एवं खेल मैदान को अन्यत्र फिट कर देने की वजह से नक्शे एवं मौके में पुनः विरोधाभासी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके परिणाम स्वरूप राजस्थान सम्पर्क पोर्टल व अन्य उच्चाधिकारियों के स्तर तक परिवेदनायें प्रस्तुत होने से गत एवं वर्तमान रेकार्ड का पुनः सरसरी तौर पर मिलान कर परीक्षण किया गया एवं पटवारी एवं भू अ.नि. संयुक्त टीम बनाकर मौका रिकार्ड तैयार करवाई गई जिसमें वर्तमान नक्शे में मौजुदा सडक को भी मौके की स्थिति अनुसार फिट नही कर गलत तरमीम कर दी गई जिसको वर्तमान रिकार्ड एवं नक्शे में सही किया जाना नितान्त आवश्यक है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का आराजी नम्बर एवं क्षेत्रफल सहित विवरण निम्न प्रकार है साथ ही इस आराजी में से कितना–कितना रकबा किस विभाग / संस्था / खातेदार के नाम दर्ज होगा जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

| वर्तमान प्रविष्टि | | | संशोधित प्रविष्टि | | |
|---|---|---|---|---|---|
| खसरा नम्बर | रकबा | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा | खातेदार का नाम |
| 1512 | 0.70 | रा.उ.प्रा.वि. रामा | 1512 | 0.70 | ग्रा. प. पीथा का खेडा |
| 1552 | 0.49 | पी. डब्ल्यु डी. विभाग रायपुर | 1552 में से<br>1552 में से<br>1552 में से | 0.12<br>0.12<br>0.25 | रा.उ.प्रा.वि. रामा<br>ग्रा. प. पीथा का खेडा<br>शेष बदस्तुर |
| 1502<br>1503<br>1506<br>1508<br>1510 | 0.11<br>0.07<br>0.05<br>0.02<br>0.51 | ग्रा. प. पीथा का खेडा (आबादी) | 1502 में से<br>1503 में से<br>1506 में से<br>1508 में से<br>1510 में से | 0.02<br>0.02<br>0.05<br>0.01<br>0.13 | पी. डब्ल्यु डी. विभाग रायपुर भीलवाडा<br>शेष बदस्तुर |
| 1504 | 0.03 | मूली देवी पत्नि रामलाल बलाई | 1504 में से<br>1504 में से | 0.01<br>0.02 | पी. डब्ल्यु डी. विभाग रायपुर भीलवाडझा<br>शेष रकबा बदस्तुर |
| 1553 | 3.55 | बिलानाम काबिल काश्त | 1553 में से<br>1553 में से | 0.01<br>3.54 | मूली देवी पत्नि रामलाल बलाई<br>शेष रकबा बदस्तुर |
| 1746 / 1550 | 0.64 | बिलानाम काबिल काश्त | 1746 / 1550 में से<br>1746 / 1550 में से | 0.58<br>0.06 | रा.उ.प्रा.वि. पीथा का खेडा<br>शेष रकबा बदस्तुर |

उपरोक्त विवरणानुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना है जिसके लिए गत रिकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार संलग्न नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की जाकर वास्ते संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 18.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत भी नोटिस जारी किये गये। प्रार्थी एवं विपक्षीगण उपस्थित हैं। विपक्षीगण द्वारा प्रथक–प्रथक जबाव प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली किये गये।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस सुनी गयी तथा बहस पर मनन किया गया। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में संशोधन किया जाना जिसके लिए गत रिकार्ड एवं मौके की स्थिति अनुसार संलग्न नक्शे में लाल स्याही से तरमीम की जाकर वास्ते संशोधन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे संफल रहने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हुं। अतः

## आदेश

ग्राम रामा में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का आराजी नम्बर एवं क्षेत्रफल सहित विवरण निम्न प्रकार है साथ ही इस आराजी में से कितना–कितना रकबा किस विभाग/संस्था/खातेदार एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार नाम दर्ज करने का आदेश तहसीलदार रायपुर को दिया जाता है।

| वर्तमान प्रविष्टि | | | संशोधित प्रविष्टि | | |
|---|---|---|---|---|---|
| खसरा नम्बर | रकबा | खातेदार का नाम | खसरा नम्बर | रकबा | खातेदार का नाम |
| 1512 | 0.70 | रा.उ.प्रा.वि. रामा | 1512 | 0.70 | ग्रा. प. पीथा का खेडा |
| 1552 | 0.49 | पी. डब्ल्यु डी. विभाग रायपुर | 1552 में से<br>1552 में से<br>1552 में से | 0.12<br>0.12<br>0.25 | रा.उ.प्रा.वि. रामा<br>ग्रा. प. पीथा का खेडा<br>शेष बदस्तुर |
| 1502<br>1503<br>1506<br>1508<br>1510 | 0.11<br>0.07<br>0.05<br>0.02<br>0.51 | ग्रा. प. पीथा का खेडा (आबादी) | 1502 में से<br>1503 में से<br>1506 में से<br>1508 में से<br>1510 में से | 0.02<br>0.02<br>0.05<br>0.01<br>0.13 | पी. डब्ल्यु डी. विभाग रायपुर भीलवाडा<br>शेष बदस्तुर |
| 1504 | 0.03 | मूली देवी पत्नि रामलाल बलाई | 1504 में से<br>1504 में से | 0.01<br>0.02 | पी. डब्ल्यु डी. विभाग रायपुर भीलवाडझा<br>शेष रकबा बदस्तुर |
| 1553 | 3.55 | बिलानाम काबिल काश्त | 1553 में से<br>1553 में से | 0.01<br>3.54 | मूली देवी पत्नि रामलाल बलाई<br>शेष रकबा बदस्तुर |
| 1746/1550 | 0.64 | बिलानाम काबिल काश्त | 1746/1550 में से<br>1746/1550 में से | 0.58<br>0.06 | रा.उ.प्रा.वि. पीथा का खेडा<br>शेष रकबा बदस्तुर |

राजलक्ष्मी गहलोत
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा